



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01022021-224856
CG-DL-E-01022021-224856

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 435]
No. 435]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 1, 2021/माघ 12, 1942
NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 1, 2021/MAGHA 12, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 2021

का.आ. 472(अ).—केंद्रीय सरकार, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 43 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और ओडिशा उच्च न्यायालय, कटक, के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक का.आ.372 (अ), तारीख 5 फरवरी, 2016, का निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की , सारणी में क्रम संख्यांक 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

क्र.सं.	राज्य या संघ राज्यक्षेत्र	धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अधीन विशेष न्यायालय के रूप में पदाभिहित सेशन न्यायालय	धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 4 के अधीन दंडनीय अपराध के विचारण के लिए विनिर्दिष्ट क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)
		सेशन न्यायालय, खुरदा, भुवनेश्वर।	संपूर्ण ओडिशा राज्य

“20	ओडिशा	विशेष न्यायाधीश का न्यायालय (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो) भुवनेश्वर।	संपूर्ण ओडिशा राज्य”।
-----	-------	--	-----------------------

[फा. सं. सी – 18015/3/2013 एडी.ईडी (जिल्द-2)]

विवेक मिश्रा, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) अधिसूचना संख्यांक का.आ. 372(अ) तारीख 5 फरवरी, 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्यांक सं. का.आ. 966 (अ) तारीख 27 मार्च, 2017 और का.आ. 1420(अ) तारीख 05 मई 2017 द्वारा संशोधित की गई।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th January, 2021

S.O. 472(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 43 of the Prevention of Money-Laundering Act, 2002 (15 of 2003), and in consultation with the Hon’ble Chief Justice, High Court of Odisha, Cuttack, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), number S.O. 372(E), dated the 5th February, 2016, namely:-

In the Table of the said notification, for serial no. 20 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

S.No.	State or Union territory	Court of Session designated as Special Court under the Prevention of Money-Laundering Act, 2002	Area specified for trial of offence punishable under section 4 of the Prevention of Money-Laundering Act, 2002
(1)	(2)	(3)	(4)
“20.	Odisha	Court of Sessions, Khurda at Bhubaneswar.	The entire State of Odisha.
		Court of Special Judge (Central Bureau of Investigation), Bhubaneswar.	The entire State of Odisha”.

[F. No.C-18015/3/2013-Ad.ED (Vol-2)]

VIVEK MISHRA, Under Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 372(E), dated the 5th February, 2016 and subsequently amended vide number S.O. 966(E), dated the 27th March, 2017 and S.O. 1420(E) dated the 5th May, 2017.